

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 जून 2018—ज्येष्ठ 16, शक 1940

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2018

क्र. एफ-1-14-2011-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के साथ सहपठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-14-2011-आठ, दिनांक 7 अप्रैल 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण क्रमांक 219 में दिनांक 7 अप्रैल 2018 को प्रकाशित हुई थी, तो अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्री एम. पी. सिंह, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कैम्प कार्यालय, भोपाल को आगामी आदेश होने तक संभागीय उप परिवहन आयुक्त, भोपाल एवं उज्जैन के रूप में, नियुक्त करती है तथा उन्हें भोपाल एवं उज्जैन संभाग में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी की शक्तियों एवं कर्तव्यों का निष्पादित करने के लिये, आगामी आदेश होने तक प्राधिकृत करती है.

No. F-1-14-2011-VIII—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) read with the second proviso to sub section (2) of Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in supersession of this department's Notification No. F-1-14-2011-VIII, dated 7th April, 2018, which was published in the State Government, hereby, appoints Shri M.P. Singh, Regional Transport officer, Camp office, Bhopal as Divisional Deputy Transport Commissioner, Bhopal and Ujjain till further order and authorizes him to discharge the powers and functions of Regional Transport Authority in Bhopal and Ujjain till further order.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कमल नागर, उपसचिव.